न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 एस.पी. सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 12/2017

बउनवान

सुरेन्द्र कुमार आयु 40 साल पुत्र श्री मुकुटबिहारी जाति–ब्राहमण
निवासी–भीमनगर, तहसील–भवानीमण्डी जिला–झालावाड(राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला–बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 03.05.2017 न्यायालय तहसीलदार, अन्ता अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 14.05.2018

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 03.05.2017 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि वर्तमान खाता संख्या 656 पुराना 644 में वर्णित खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.08 है0 एवं वर्तमान खाता सख्या 407 पुराना 385 में वर्णित आराजियात् ख0नं0 1592 रकबा 0.26 है0,ख0नं0 1593 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 2140/1594 रकबा 0.14 है0 कुल तीन किता रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम पलायथा तहसील–अन्ता में स्थित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 38 रकबा 0.13 है, ख0नं0 39 रकबा 0.20 है0 कुल दो किता रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम ठिकरिया तह. अन्ता में स्थित है। उक्त आराजी में से अपीलांट के पिता श्री मुकुटबिहारी पुत्र श्रीनाथ जाति–ब्राहमण निवासी भीमनगर तह. भवानीमंडी जिल–झालावाड द्वारा अपने हक व हिस्से की आराजी की वसीयत अपीलांट के पक्ष में कर गवाही करवायी थी। अपीलांट ने अपने पिता श्री मुकुटबिहारी की दिनांक 2016 को मृत्यु होने के बाद उक्त वसीयत के आधार पर इन्तकाल खुलवाने हेतु पत्र मय वसीयतनामा रेस्पों. के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त कार्यवाहीं विचारण के अपीलांट द्वारा अपने स्वंय के बयान व बहिनों रेखाबाई व संगीताबाई तथा के गवाहान के बयान अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज करवाये गये किन्तु इसके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बावजूद अपीलांट के पिता के खाते व हिस्से की आराजियात् का इन्तकाल वसीयतनामा दिनांक 30.12.2015 की पालना में अपीलांट के नाम नहीं खोलकर, अपीलांट का प्रार्थनापत्र दिनांक 3.5.2017 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय दिनांक 03.05.2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा अपीलांट का प्रार्थनापत्र खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है क्योकि अपीलांट के पिता मुकुटबिहारी द्वारा अपने खाते व हिस्से की आराजी को अपीलांट के पक्ष में वसीयत करायी है। उक्त वसीयत के गवाहान व बहिनों की साक्ष्य भी विचारण के दौरान करवायी है जिसमें बहिन रेखाबाई व संगीता द्वारा अपीलांट के पक्ष में पिता मुकुटबिहारी द्वारा वसीयत करवाना व पिता के हस्ताक्षर सहीं होना जाहिर किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुये अपीलांट का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.05.2017 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, वसीयत दिनांक 30.12.2015 की पालना में अपीलांट के पिता के खाते व हिस्से की आराजियात् का इन्तकाल अपीलांट के नाम खुलवाने एवं उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट के पिता श्री मुकुटबिहारी के ग्राम पलायथा में अराजियात् खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.08 है0 एवं वर्तमान खाता सख्या 407 में वर्णित आराजियात् ख0नं0 1592 रकबा 0.26 है0,ख0नं0 1593 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 2140/1594 रकबा 0.14 है0 कुल तीन किता रकबा 0.49 है0 स्थित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 38 रकबा 0.13 है, ख0नं0 39 रकबा 0.20 है0 कुल दो किता रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम ठिकरिया में खातेदारी की अवस्थित है। पिता ने अपीलांट के पक्ष में दिनांक 30.12.2015 को अनरजिस्टर्ड वसीयत तहरीर की गयी थी। पिता की मृत्यु दिनांक 1.1.2016 को होने के बाद अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दिनांक 18.2.2016 को वसीयतनामा पेश कर, वसीयत के अनुसार वर्णित आराजीयात् को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र पत्र पेश किया था। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के गवाह, वारिसान् में पुत्र अपीलांट व दोनो पुत्रियॉ रेखा व संगीता के साक्ष्य भी ली गयी थी। एक बहिन कविता जिसे भी साक्ष्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब किया गया था जो कई [illegible] तकीद करने के उपरान्त भी न्यायालय में अनुपस्थित रहीं है। पत्रावली में पर्याप्त [illegible] सबूत होने कि अपीलांट एक मात्र वैधानिक वसीयती वारिस है। इसके बावजूद [illegible]स्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित तथ्यों को नजरअदांज कर, विरासती नामान्तकरण [illegible]रने के आदेश दिये गये है जो पूर्णतया विधिविरूद्ध एवं नियमों के प्रतिकूल है। [illegible]पीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3.5.2017 निरस्त फरमाया जाकर, पत्रावली शेष वारिसान् पुत्री कविता की विधिक साक्ष्य लेकर, पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड फरमायी जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपीलांट की वसीयत अनरजिस्टर्ड है। अपीलांट ने तथ्यों को छिपाकर आवेदन प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने मुकुटबिहारी के दो पुत्रियॉ रेखा व संगीता को हीं वारिस बताया है जबकि अपीलांट के पिता मुकुटबिहारी की मृत्यु जिला झालावाड में हुई है। तहसीलदार, पचपहाड से वारिसान् की रिपोर्ट लेने पर ज्ञात हुआ है कि उनके तीन पुत्रियॉ है। पत्रावली में कविता जो वैधानिक वारिस है, जिसकी साक्ष्य शहादत नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड वसीयत उपलब्ध रेकार्ड व साक्ष्य से ग्राहय नहीं होने से, नियमानुसार विरासतन वैधानिक वारिसान् के नाम नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अपीलांट की अपील निरस्त फरमायी जावे।

हमने विद्धान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकुटबिहारी पुत्र श्रीनाथ नि. भीमनगर जिला–झालावाड जिनके ग्राम पलायथा व ठिकरिया तह. अन्ता में वर्णित संयुक्त खातेदारी में आराजियात् अवस्थित है जिसका विरासतन नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलांट मुकुटबिहारी जी का वैधानिक व वसीयती पुत्र है जिनने दिनांक 30.12.2015 को अनरजिस्टर्ड वसीयत तहरीर कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के गवाह व वारिसान् की साक्ष्य पूर्ण होने के बावजूद, विरासतन वारिसान् के नाम वर्णित आराजियात् का नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है। इसी प्रकार पेरोकार सरकार का मुख्य तर्क रहा है कि वसीयत अनरजिस्टर्ड है, जो उपलब्ध गवाह व सबूतो से प्रमाणित नहीं होती है, वारिसन की पूर्ण साक्ष्य नहीं हुई है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का विधिक अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मुकुटबिहारी द्वारा दिनांक 30.12.2015 को तहरीरी वसीयत अनरजिस्टर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयत अनरजिस्टर्ड होने से वसीयत को अमल करने से पूर्व वसीयत के गवाह व विरासतन वारिसान् की साक्ष्य शहादत ली गयी है। अपीलांट के पिता की मृत्यु जिला झालावाड में हुई है तथा वारिसान् की जिला तहसील–पचपहाड जिला–झालावाड से लेने पर मुकुटबिहारी पुत्र श्रीनाथ जी के तीन पुत्रियॉ रेखा, संगीता व कविता होना अंकित किया गया है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो पुत्रियॉ रेखा व कविता की साक्ष्य ली गयी है। किन्तु कविता जो मुकुटबिहारी जी की वैधानिक वारिस है जिसकी साक्ष्य नहीं हुई है। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि वसीयत अनरजिस्टर्ड है तो उसका विधिक परीक्षण व सबूतो से वसीयत की प्रमाणिकता के उपरान्त ही आदेश पारित किया जा सकता है। प्रकरण में मुकुटबिहारी की पुत्री कविता की साक्ष्य नहीं हुई है, शेष वारिसान् पुत्रियॉ रेखा, संगीता व सुरेन्द्र कुमार की साक्ष्य हो चुकी है। अपील में अनरजिस्टर्ड वसीयत पर आदेश पारित करने से पूर्व सभी वैधानिक वारिसान् की साक्ष्य शहादत होना विधि सम्मत समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में मुकुटबिहारी जी की वैधानिक वारिस कविता की साक्ष्य शहादत लेकर, साक्ष्य उपरान्त वसीयत की प्रमाणिकता की जॉच कर, तार्किक तथ्यों के सम्प्रेषण में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official